Assured Career Progression Scheme

ACP

Ghaeue 16.10

झारखंड सरकार
वित्त::विभाग।

राँची, दिनांक वीं अगस्त, 2002.

संकल्प

विषय:- राज्य कर्मियों के लिये सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना।

राज्य के संविवर्ग को केन्द्रीय सेवा शर्त्तें के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने में बनी सैद्धान्तिक सहमति के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप राज्य कर्मियों को केन्द्रीय वेतनमान सहित अन्य भत्तों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। फिटमेन्ट कमिटी ने सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) का लाभ राज्य कर्मियों को भी प्रदान करने की अनुशंसा की है।

2. राज्य सरकार ने फिटमेन्ट कमिटी की अनुशंसा एवं केन्द्र में लागू सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना पर सम्यक रूप से विचार करते हुये अपने संविवर्ग के लिये इस योजना को निम्नरूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया है:-

(1) राज्य कर्मी जिन्हें सम्वर्गीय प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला है, को 12/24 वर्षों की नियमित सन्तोषप्रद सेवा पूरी होने पर क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण का लाभ सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (ए०सी०पी०) के तहत प्रदान किया जाय।

(2) यह वित्तीय उन्नयन, प्रोन्नति के सर्वथा योग्य कर्मी को, जिस सम्वर्ग विशेष में वित्तीय उन्नयन विचाराधीन हो, उसमें सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त होकर क्रमशः 12/24 वर्षों की सेवा पूरी करने के उपरान्त ही अनुमान्य होगा।

(3) यह वित्तीय उन्नयन सम्बन्धित सेवक को उसके सम्वर्ग के लिये निर्धारित प्रोन्नति के वर्त्तमान पद सोपान के वेतनमान में मिलेगा और इसके लिये वित्त विभाग के संकल्प संख्या-660/वि(2), दिनांक 8-2-1999 एवं इस क्रम में निर्गत अन्य आदेशों द्वारा स्वीकृत वेतनमान ही प्रासांगिक होंगे। जहाँ प्रोन्नति के पद सोपान निर्धारित नहीं है या पद सोपान में दो से कम प्रोन्नति के पद कर्णांकित है, वहाँ अनुसूची-1 के अनुसार उच्चतर वेतनमानों में वित्तीय उन्नयन का लाभ दिया जायेगा।

3. सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत् वित्तीय उन्नयन निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन स्वीकृत किया जा सकेगा:-

(1) ए०सी०पी० योजना सरकारी सेवकों को व्यक्तिगत आधार पर वित्तीय उत्क्रमण द्वारा मात्र उच्चतर वेतनमान/वित्तीय लाभ प्रदान करने पर विचार करता है। अतः यह न तो कार्यात्मक( )/नियमित प्रोन्नति के बराबर होगा न हीं इस हेतु नये पद सृजन की आवश्यकता होगी।

......2.